(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 767–एक/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 16–2–2015 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण कमांक 633 बी–121/2011–12

पन्नालाल बरार पुत्र गोविन्ददास बरार
ग्राम मकारा तहसील निवाड़ी
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक)
(अनावेदकगण की ओर से पैनल लायर श्री राजीव गौतम)

आ दे श

(आज दिनांक 2–1 – 2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 633 बी–121/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 16–2–2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर टीकमगढ़ को प्रार्थना पत्र दिनांक 26–10–07 प्रस्तुत कर बताया

कि ग्राम मकाना की आराजी कमांक 34/1 रकबा 1.677 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) वह 30-35 वर्ष से काविज होकर खेती करते आ रहा है जिसके सम्बन्ध में उसने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका कमांक 4620/2007 प्रस्तुत की थी जिसमें पारित आदेश दिनॉक 2-7-2007 के कम में उसे वादग्रस्त भूमि का पटटा दिया जावे। कलेक्टर जिला टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 268 बी-121/2007-08 पंजीबद्ध किया तथा जॉच/सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 23-9-2008 पारित करके प्रकरण समाप्त कर दिया तथा निर्धारित किया कि राज्य शासन से कृषि योग्य भूमि बन्टन के दिशा निर्देश प्राप्त होने पर आवेदक के आवेदन पर विचार किया जावेगा। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील कमांक 633 बी-121/ 2011-12 प्रस्तुत हुई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 16-2-2015 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव एंव शासन के पैनल लायर श्री राजीव गौतम के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर मनन् करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पंर विचार योग्य है कि वर्तमान में भूमि बन्टन हेतु मध्य प्रदेश शासन व्दारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार क्या आवेदक को भूमि आवंटित की जा सकती है ? मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल व्दारा भूमि बन्टन के सम्बन्ध में ज्ञापन कमांक

एफ-30-18/2202/सात/2-ए दिनांक 21 जनवरी 2003 जारी कर निर्देश दिये हैं कि राज्य शासन प्रदेश में चरनोई का रकवा कम करने से प्राप्त काविल कास्त भूमि एंव अन्य मदों की दखल रहित भूमि का कृषि प्रयोाजनों के लिये आवंटन के सम्बन्ध में नीति का पुनः निर्धारण करके शीध्र ही नई योजना प्रसारित करने जा रहा है इसलिये आगामी आदेश तक भूमि आवन्टन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जावे। वर्तमान में ज्ञापन दिनांक 21-1-03 के वाद कृषि कार्य के लिये भूमि बन्टन के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त नहीं हुये हैं एंव आवेदक के अभिभाषक भी उक्त पर समाधान नहीं करा सके हैं एंव ऐसे कोई दिशा निर्देश प्रस्तुत नहीं कर सके हैं जिनके आधार पर निगरानी स्वीकार करने पर विचार किया जा सकें, जिसके कारण कलेक्टर जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 268 बी-121/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 23-9-2008 एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 633 बी-121/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 16-2-2015 में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 633 बी-121/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 16-2-2015 उचित प्रतीत होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर